

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	हां। संलग्न है।	
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।	
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल के कन्हान वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मे0 छिंदवाड़ा प्लस डेक्लपर्स लिमिटेड के लिये 80.737 हे. (वन भूमि में 8.330 हे0 वन क्षेत्र एवं 72.407 हे0 राजस्व वन) वन भूमि का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यापवर्तन हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।	

तिथि : 12.3.2019
स्थान: छिंदवाड़ा

(के. के. गुरवानी)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त